Pt. Lec. Keshar Kumar Shrivastava
College: R. M. M. Law College, Saharsa
L.L.B. Part-IIIrd: Land Law; IVth Paper.

Q.- What do you understand by "Surrender" and "Abandonment"? Distinguish between "Surrender" and "Abandonment".
'समर्पण' और 'परित्याग' से आप क्या समझते हैं? 'समर्पण' और 'परित्याग' के बीच अन्तर करें।

Ans- 'समर्पण' (Surrender) — बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा - 86 के अन्तर्गत कोई रैयत स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि जो पट्टे या अन्य करार के जरिये किसी नियत कालावधि तक जोत धारण किये रहने को आबद्ध न हो, किसी कृषि-वर्ष के अन्त में पूर्व सूचना देकर उसे भू-स्वामी को लौटा देता है, तो उसे 'समर्पण' कहा जाता है।

यदि रैयत जोत समर्पण के कम-से-कम तीन महीना पूर्व सूचना देकर अपने भू-स्वामी को उक्त कृषि भूमि को समर्पित कर देता है तो वह रैयत अगले वर्ष से लगान के दायित्व से मुक्त हो जाता है। अन्यथा समर्पण करने पर भी रैयत भू-स्वामी को समर्पण की तारीख के अगामी कृषि-वर्ष में जोत के लगान में होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति देने का भागी होगा।

परित्याग (Abandonment) — बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-87 के अन्तर्गत कोई रैयत स्वेच्छा से, भू-स्वामी को सूचित किये बिना ही या देय लगान के भुगतान की व्यवस्था किये बिना ही, अपना निवास स्थान परित्याग दे और उस जोत की खेती वह या तो स्वयं या अन्य व्यक्ति के जरिये करना छोड़ दे, तो भू-स्वामी उस कृषि-वर्ष की समाप्ति के बाद, जिसमें रैयत ने ऐसा परित्याग या खेती करना छोड़ दिया हो, किसी भी समय उस जोत को अधिकृत कर उसे किसी दूसरे काश्तकार को पट्टे पर दे सकेगा अथवा उसकी खेती स्वयं कर सकेगा।

इसके आवश्यक तत्व निम्न हैं —

(i) भू-स्वामी को सूचित किये बिना ही रैयत स्वेच्छा से अपना निवास स्थान परित्याग कर दे।
(ii) देय लगान के भुगतान की अपनी ओर से कोई व्यवस्था न करे, और
(iii) उस जोत की खेती करना छोड़ दे।

परित्याग के केस को स्थापित करने के लिये भू-स्वामी को इन तीनों चीजों को सकारात्मक रूप से साबित करना होता है। परित्याग की ऐसी अवस्था में भू-स्वामी को उस भूमि पर दखल-कब्जे का अधिकार हो जाता है।

Scanned with CamScanner

'समर्पण' तथा 'परित्याग' के बीच निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं :—

(1) 'समर्पण' में रैयत अपनी कृषि भूमि के भू-स्वामी को सूचना देकर भूमि को स्वेच्छा से छोड़ता है।

परन्तु 'परित्याग' के मामले में रैयत स्वेच्छा से भू-स्वामी को सूचित किये बिना ही भूमि (holding) को छोड़कर चला जाता है।

(2) 'समर्पण' में रैयत भूमि के लगान अदा करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है।

परन्तु 'परित्याग' के मामले में भूमि के लगान देने का दायित्व रैयत पर बना रहता है।

(3) 'समर्पण' में रैयत अपने निवास स्थान का परित्याग नहीं करता है। वह मात्र भूमि को छोड़ देता है।

परन्तु 'परित्याग' के मामले में रैयत भूमि एवं अपने निवास स्थान दोनों को छोड़कर चला जाता है।

(4) समर्पण कृषि वर्ष के अन्त में होना चाहिए।

परन्तु 'परित्याग' कभी भी हो सकता है।

(5) 'समर्पण' (Surrender) के मामले में भू-स्वामी को दूसरे रैयत को पट्टे पर भूमि (holding) देने का अधिकार हो जाता है।

परन्तु 'परित्याग' के मामले में भू-स्वामी कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा स्वयं जोत-आबाद कर सकता है या किसी दूसरे काश्तकार को पट्टे पर दे सकेगा। परन्तु इस आशय की सूचना उसे कलक्टर को देनी होगी।

—:—

Q.- Write short notes on Agricultrual year.
कृषि-वर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

Ans- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-3(11) के अन्तर्गत कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार कृषि वर्ष का तात्पर्य है जहाँ बंगाली वर्ष प्रचलित हो वहाँ वैशाख के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाला वर्ष, जहाँ फसली या अमली वर्ष प्रचलित हो वहाँ आश्विन के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाला वर्ष और जहाँ कृषि के प्रयोजनार्थ कोई अन्य वर्ष प्रचलित हो वहाँ वह वर्ष।

परन्तु जहाँ राज्य सरकार भू-स्वामी हो वह अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाला वर्ष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कृषि वर्ष होगा।

—:—

Scanned with CamScanner